राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.14( )कैम्पा / अप्रमुवसं / लेखा / ब.आ. / 2022–23 / 6038 दिनांक 02/08/2022

बजट आवंटन आदेश– 43

वर्ष 2022–23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या– **44 : (ii) Creation of New Nursery** में निम्न आवंटित कार्य को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से निम्न बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present value of forest land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रू. लाखों में)

APO Item No. 44 : (ii) Creation of New Nursery				
		Budget Allotment		
क्र.सं.	**कार्यालय का नाम**	**Physical Targets (Nos.)**	**Total Amount (@ 15.00 lacs per no)**	**Site Details**
1.	उ.व.सं. वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर	1	15.00000	Arwar (Nursery) N26'09'28'' E74'55'15''
	योग	**1**	**15.00000**	

1 **नवीन नर्सरी अरवड़ रेंज पुष्कर में आवंटन आदेश 19 द्वारा किया गया था उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 5766–71 दिनांक 14.06.2022 द्वारा रेंज पुष्कर का क्षेत्राधिकार उप वन संरक्षक चिडियाघर, जयपुर होने के कारण नवीन नर्सरी अरवड़ आवंटन को समर्पित किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव प्रतिपालक के पत्रांक 508 दिनांक 16.06.2022 द्वारा पुष्कर रेंज हेतु ए.पी.ओ. में नवीन नर्सरी आवंटन की मांग नहीं की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में सिविलरिट 11153 / 2011 की अनुपालना कराने हेतु अरवड़ रेंज, पुष्कर के बाबत कार्यालय उप वन संरक्षक, चिडियाघर, जयपुर को नवीन नर्सरी का आवंटन किया जाता है।**

2 **Prior to implementation of above activities, the DCFs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan.**

3 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ. / 2022–23 / कैम्पा / अप्रमुवसं / 2915–27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।

4 उक्त आवंटन के विरूद्ध नर्सरी में पक्के बेडस तथा पक्का निरीक्षण पाथ निर्माण एवं बिजली का बिल पर व्यय नहीं किया जावें।

5 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना / वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।

6 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।

7 ए.पी.ओ. वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित कार्यो पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

8 उक्त आवंटन के विरूद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नही हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।

9 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।

10 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।

11 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्यो के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।

12 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

13 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।

14 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।

15 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावें जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नही हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।

16 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावें एवम् विभाग की प्रचलित प्रद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

17 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

Shikha
(शिखा मेहरा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/6039-45 दिनांक : 02/08/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।

2 मुख्य वन संरक्षक-वन्य जीव जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यो का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चत करवायें।

3 उप वन संरक्षक- वन्य जीव चिड़ियाघर, जयपुर।

4. सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।

5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षितं पत्रावली।

(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।